

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जीनपुर।

पत्रांक 3353 / 14-16 दिनांक जीनपुर अप्रैल, 05, 2021

सेवा में,

✓ उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण-11/लखनऊ
सामने सेवा ग्राम रेलवे कालोनी, चारबाग,
लखनऊ, उ०प्र०, पिन-226004।

आनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Rail/43640/2019

विषय:- उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद-अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण में जनपद जीनपुर में जफराबाद-अकबरपुर रेलमार्ग किमी० सं०-823.250 से 874.355 तक, प्रभावित 34.3636 हे० संरक्षित भूमि व बाधक 123 वृक्ष, जनपद सुल्तानपुर में किमी० 874.355 से 884.545 तक प्रभावित 7.3816 हे० संरक्षित भूमि व बाधक 20 वृक्ष तथा जनपद अम्बेडकर नगर में किमी० 884.545 से 906.780 तक 15.5496 हे० संरक्षित भूमि व बाधक 189 वृक्ष अर्थात् कुल प्रभावित संरक्षित भूमि 57.2948 हे० संरक्षित वनभूमि व 332 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक संख्या-8बी/यू.पी. /07/181/2020/एफ०सी०/०४ दिनांक 05.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ संरक्षित भूमि पर विषयगत जफराबाद-अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदान की गयी शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करते हुए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ०प्र०, में वन विभाग के माध्यम से जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का यू०टी०आर० नम्बर, ऑनलाईन उत्पन्न पावती रसीद एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5 प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित किया जा सके।

क्रम सं०	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रु०में)
1	शर्त संख्या-2, 3 व 4 के अनुपालन में जालौन वन प्रभाग के अन्तर्गत उरई रेंज के अन्तर्गत टीकर वनब्लाक प्रथम में 35.00 हे० तथा टीकर वनब्लाक द्वितीय में 34.00 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी०ए०)	(C.A) क्षतिपूरक वृक्षारोपण	96,07,100.00
2	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 34.3639 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे० की दर से)/(एन०पी०वी०)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य	2,15,11,614.00
		योग-	3,11,18,714.00

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 116 ha. double degraded forest land in Renge-Urai, Teekar Forest Block Jalaun Forest Division-35 ha. Renge-Urai, Teekar Forest Block Jalaun Forest Division-34 ha. Renge-Urai, Makrechha Forest Block, Jalaun Forest Division-32 ha. Renge-Urai, Kahata Forest Block, Jalaun Forest Division-32 ha. at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 57.2948 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated

18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. Speed Regulating signage will be erected along the railway line at regular intervals in the protected Areas/Forest Areas.
9. The User Agency shall provide suitable under/over passes in protected Area /Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC..
10. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable..
11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
12. No labour camp shall be established on the forest land.
13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
15. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
16. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
19. No violation of FCA certificate of concerned DFO needs to be provided.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.
23. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<http://parivesh.nic.in/>).

भवदीय



(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गिरीश चन्द्र त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर।

पत्रांक— / 14-8 दिनांक, सुलतानपुर 08-04-2021

सर्वो में,

सीनियर सेक्शन इंजीनियर,
कार्य निर्माण उत्तर रेलवे,
चरबाग, लखनऊ।

विषय:— उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद —अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण में जनपद जौनपुर में किमी० सं०—823.250 से 874.355 तक प्रभावित 34.3636 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक 123 वृक्ष जनपद सुलतानपुर में किमी० 874.355 से 884.545 तक प्रभावित 7.3816 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक 20 वृक्ष तथा जनपद—अम्बेडकरनगर में किमी० 884.545 से 906.780 तक प्रभावित 15.5496 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक 189 वृक्ष अर्थात् कुल प्रभावित 57.2948 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 332 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या—8 बी/यू०पी० /07/181/2020/एफ० सी०/04 दिनांक 05.04.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक—2561/11—सी—एफ०पी०/यू०पी०/रेल/43640/ 2019 दिनांक 06.04.21

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा जफराबाद —अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण में जनपद जौनपुर में किमी० सं०—823.250 से 874.355 तक प्रभावित 34.3636 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक 123 वृक्ष जनपद सुलतानपुर में किमी० 874.355 से 884.545 तक प्रभावित 7.3816 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक 20 वृक्ष तथा जनपद—अम्बेडकरनगर में किमी० 884.545 से 906.780 तक प्रभावित 15.5496 हे० संरक्षित वन भूमि व बाधक 189 वृक्ष अर्थात् कुल प्रभावित 57.2948 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 332 वृक्षों के पातन की कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद सुलतानपुर के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई—पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है—

क्रमांक	धनराशि का मद	धनराशि
1	प्रभावित संरक्षित वन भूमि 7.3816 हे० का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०)	46,20,882=00
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	18,99,200=00
योग		6520082=00

क्रमांक:.....2 पर

(2)

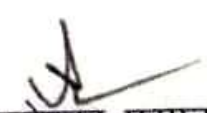
यह मूल्य अन्तरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किये जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई-पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर एवं उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने की पावती रसीद सहित पाँच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।

पत्रांक:- / उक्तदिनांकित ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र०, कैम्पा लखनऊ।
 2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
 3. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ०प्र०, अयोध्या ।
 4. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, उ०प्र०, वाराणसी।


(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक 2579
सेवा में,

/14-9,

दिनांक, अम्बेडकरनगर, अप्रैल 09 /2021

सीनियर सेक्शन इंजीनियर
कार्य निर्माण, उत्तर रेलवे,
चारबाग, लखनऊ।

विषय:- उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद-अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण में जनपद-जौनपुर में किमी० सं०-823.250 से 874.355 तक प्रभावित 34.3636 हे० संरक्षित वनभूमि व बाधक 123 वृक्ष, जनपद-सुल्तानपुर में किमी० 874.355 से 884.545 तक प्रभावित 7.3816 हे० संरक्षित वनभूमि व बाधक 20 वृक्ष तथा जनपद-अम्बेडकरनगर में किमी० 884.545 से 906.780 तक प्रभावित 15.5496 हे० संरक्षित वनभूमि व बाधक 189 वृक्ष अर्थात् कुल प्रभावित 57.2948 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 332 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं०-8बी/यू.पी./07/181/2020/एफ.सी./04 दिनांक 05-04-2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2561/11-सी-एफ.पी./यू.पी./रेल/43640/2019 दिनांक 06-04-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा जनपद-अम्बेडकरनगर में किमी० 884.545 से 906.780 तक 15.5496 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 189 वृक्षों के पातन हेतु शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है-

क्र० सं०	धनराशि का मद	कुल क्षेत्र हे० में	दर प्रति हे० रु० में	कुल धनराशि रु०में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है
1	2	3	4	5	6
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०)	15.5496	626000/-	9734050.00	सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	32.00	-	4590100.00	सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार

यह मूल्य अंतरिम है, शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० 2501/11-सी दिनांक 24-05-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद एवं अनुपालन आख्या की 05 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ०प्र०, लखनऊ।
- 2— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3— वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ०प्र०, अयोध्या।
- 4— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग जौनपुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

१८